



कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी

पत्रांक:- 904 / 12-1 दिनांक, पौड़ी, सितम्बर, 12, 2017.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय- जनपद चमोली के अन्तर्गत बगोली-जैटा-कोटी-ग्वालखेत-पैखोली मोटर मार्ग का बेनीताल तक विस्तारीकरण हेतु 3.606 हे० वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

सन्दर्भ- प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर का पत्रांक 1093/12-1 दिनांक 11.09.2017.

महोदय,

उपयुक्त विषयक प्रकरण में वांछित आपत्तियों का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा किया गया है जो निम्न प्रकार हैं:

1. भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-1 में दिनांक व स्थान यथा स्थान अंकित कर दिया गया है प्रस्ताव के पृष्ठ सं० 05 में संलग्न है।
2. प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग-2 व वन संरक्षक के प्रपत्र भाग-3 को भरवाकर प्रस्ताव में संलग्न किया जा रहा है। प्रस्ताव के पृष्ठ सं० 6, 7 व 8 में संलग्न है।
3. प्रस्तावित मार्ग वन भूमि के अन्तर्गत केवल ग्राम-कोटी वन पंचायत की भूमि प्रभावित हो रही है। लैण्ड शेड्यूल संलग्न है, तथा FRA में उक्त का विस्तृत विवरण दर्ज है, FRA मूल में प्रस्ताव के पृष्ठ सं० 15 से 20 में संलग्न है।
4. प्रस्ताव में संलग्न लम्बाई चौड़ाई के प्रमाण-पत्र में मलवा निस्तारण का क्षेत्रफल अंकित कर पृष्ठ सं० 37 में संलग्न है।
5. क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना, प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा निर्धारित वर्तमान दर दिनांक 19.08.2015 के आधार पर तैयार कर प्रस्ताव के पृष्ठ सं० 50-53 में संलग्न है।
6. वन संरक्षक अधिनियम 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ सं० 78B में संलग्न है।
7. वृक्षों की सूची में विभिन्न प्रजाति के वृक्षों का वैज्ञानिक नाम अंकित कर प्रस्ताव के पृष्ठ सं० 50 व 51 में संलग्न है।
8. प्रस्तावित परियोजना में बांज वृक्ष प्रभावित होने के कारण स्थल निरीक्षण रिपोर्ट व वन संरक्षण की आख्या भाग-3 प्रस्ताव के पृष्ठ सं० 61 व 52 में संलग्न है।
9. मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित वनपंचायती भूमि का अनापत्ति सरपंच व ग्रामवासियों का अनापत्ति पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ सं० 19 व 20 में संलग्न है।
10. एन०पी०वी० का आंकलन घनत्व व इकोक्लास के आधार पर आंका गया है, जो प्रस्ताव के पृष्ठ सं० 89 में संलग्न हैं
11. प्रस्ताव की मूल प्रति में छायाप्रतियों को सत्यापित की गई है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(जी०के०रस्तोगी)

वन संरक्षक,

गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

॥ कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ॥

Email-dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in

Phone no- 01372-252175

पत्रांक 1093/12-1

गोपेश्वर,

दिनांक

11/09

2017।

सेवा में,

वन संरक्षक,

गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड

पीडी।

विषय:-

जनपद बगौली के अन्तर्गत बगौली-जैटा-कोटी-गवालखेत-पैखोली मोटर मार्ग का बेनीताल तक विस्तारीकरण हेतु 3.606 हे० वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

संदर्भ:-

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षक देहरादून का पत्र सं० 70/FP/ok/RDO/22108/2016 दिनांक 10.07.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक सदरित पत्र के क्रम में नोडल अधिकारी देहरादून द्वारा विषयक मार्ग वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में लगाई गई कतिपय कमियों का निराकरण अधिशारी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० थराली के पत्र सं० 2359/10 एल०ए० दिनांक 21.08.2017 से निम्नानुसार किया गया है।

1. भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-1 में दिनांक व स्थान यथा स्थान अंकित कर दिया गया है प्रस्ताव के पृष्ठ सं० 05 में संलग्न है।
2. प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग-2 व वन संरक्षक के प्रपत्र भाग-3 को भरवाकर प्रस्ताव में संलग्न किया जा रहा है। प्रस्ताव के पृष्ठ सं० 6, 7 व 8 में संलग्न है।
3. प्रस्तावित मार्ग वन भूमि के अन्तर्गत केवल ग्राम-कोटी वन पंचायत की भूमि प्रभावित हो रही है। लैंड शैड्यूल संलग्न है तथा FRA में उक्त का विस्तृत विवरण दर्ज है, FRA मूल में प्रस्ताव के पृष्ठ सं० 15 से 20 में संलग्न है।
4. प्रस्ताव में संलग्न लम्बाई चौड़ाई के प्रमाण-पत्र में मलवा निस्तारण का क्षेत्रफल अंकित कर पृष्ठ सं० 37 में संलग्न है।
5. क्षतिपूर्क वृक्षारोपण योजना, प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा निर्धारित वर्तमान दर दिनांक 19.08.2015 के आधार पर तैयार कर प्रस्ताव के पृष्ठ सं० 50-53 में संलग्न है।
6. वन संरक्षक अधिनियम 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ सं० 78B में संलग्न है।
7. वृक्षों की सूची में विभिन्न प्रजाति के वृक्षों का वैज्ञानिक नाम अंकित कर प्रस्ताव के पृष्ठ सं० 50 व 51 में संलग्न है।
8. प्रस्तावित परियोजना में बांज वृक्ष प्रभावित होने के कारण स्थल निरीक्षण रिपोर्ट व वन संरक्षण की आख्या भाग-3 प्रस्ताव के पृष्ठ सं० 61 व 52 में संलग्न है।
9. मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित वनपंचायती भूमि का अनापत्ति सरपंच व ग्रामवासियों का अनापत्ति पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ सं० 19 व 20 में संलग्न है।
10. एन०पी०वी० का आकलन घनत्व व इकोवलास के आधार पर आंका गया है, जो प्रस्ताव के पृष्ठ सं० 39 में संलग्न है
11. प्रस्ताव की मूल प्रति में छायाप्रतियों को सत्यापित की गई है।

भवदीय,

(एन०एन०पाण्डेय)

प्रभागीय वनाधिकारी

बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

पत्रांक:-

दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अधिशारी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण खण्ड, थराली को आपके उक्त पत्र के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि उक्त प्रस्ताव की हार्ड कापी इस कार्यालय से प्राप्त करते हुए संशोधित संलग्न प्रपत्र को ऑन लाईन यथास्थान अपलोड करने के पश्चात् प्रस्ताव अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण कार्यालय देहरादून को प्रेषित करते हुये प्राप्ति सूचना से इस कार्यालय को अवगत करने का कष्ट करें।

(एन०एन०पाण्डेय)

प्रभागीय वनाधिकारी

बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर